फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

[illegible] बनाम [illegible] देवी

मुकदमा संख्या /वर्ष [illegible] /2019 /20

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनो को दौहराते हुए बहस की कि माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद 14.09.2019 को राजीनामा के आधार पर विड्रो कर लिया। उक्त राजीनामा के तहत चैक जो प्रार्थी को दिये गये थे जो अनादरित होने के कारण उनका भुगतान नही हुआ राजीनामा दिनांक 12.09.2016 व 13.09.2017 की पालना अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के द्वारा नही की गई है इसलिए वाद को पुनः नंबर पर लिया जावे। अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब नही देकर सीधे बहस कि की उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष मेन्टेनेबल नही है उक्त के अलावा प्रार्थी द्वारा चैक में वर्णित राशि बाबत् सिविल वाद पेश किया जिसे दौराने वाद दौराने विचाराधीन प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 3 ने दस्तावेजात सूची के साथ न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश जयपुर महानगर (द्वितीय) के समक्ष प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वसुली वाद को प्रमाणित प्रति मय आदेशिका जो कि प्रकरण वर्तमान में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या 8 में विचाराधीन है। उभयपक्ष की बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया तथा न्यायालय की पूर्व पत्रावली जो कि उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है का अवलोकन किया जिसमें पक्षकारान् के मध्य राजीनामा दिनांक 14.09.2016 को हुआ है 14.09.2016 को लोक अदालत की भावना से वाद को विड्रो किया गया है तथा अब न्यायालय के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये वाद पत्र को पुनः नंबर पर लेने का निवेदन किया है, न्यायालय की पत्रावली आवेदन पत्र तथा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात से स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र में प्रार्थी को जो चैक अप्रार्थी द्वारा दिया जाना अंकित किया है उक्त चैक में वर्णित राशि बाबत् प्रार्थी ने वसुली का दावा माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश में प्रस्तुत कर दिया [illegible] प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने राजीनामा दि[illegible] 2016 को खारिज किया जाता है। [illegible] फैसला [illegible] हो[illegible] दर्ज नंबर से कम होकर संलग्न मू[illegible] रहे। निर्णय आज [illegible] 10.03.2021 को लिखाया जाकर [illegible] सुनाया [illegible] सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.07.30 14:11:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner